(वाद संख्या–**2388/17**)

10.02.2020

परिवादी, जावेद अख्तर, टी0बी0 कन्ट्रोल इम्पलाईज एसोसिएशन, बिहार के राज्य अध्यक्ष, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के तत्वाधान में कार्यरत पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण (RNTCP) के अन्तर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की कटौती कर नियमानुसार जमा करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में संयुक्त आयुक्त–सह–अपर निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अपने पत्रांक–1900, दिनांक–21.06.2019 के द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या–17372/2017 से उदभूत MJC संख्या–2915/2018 में पारित आदेश के आलोक में **पंद्रह हजार रुपये तक मानदेय प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य विभाग के सभी पात्र कर्मी को इस योजना में शामिल किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालय को निर्देश दिया जा चुका है तथा उक्त निर्देश के आलोक में 75% पात्र कर्मियों को इस योजना में आच्छादित भी किया जा चुका है। शेष कर्मियों को भी शामिल करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।**

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त निर्देश के आलोक में RNTCP के वैसे अनुबंध कर्मी, जिनका मानदेय पन्द्रह हजार रुपये तक है, उन्हें ही EPF योजना का लाभ दिया जा रहा है। वैसे अनुबंध कर्मी जिनका प्रारम्भ में पन्द्रह हजार मासिक मानदेय में अनुबंध के कार्य करते हुए कालान्तर में पन्द्रह हजार रुपये मासिक से अधिक मानदेय हो गया है, उन्हें EPF योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। परिवादी का यह भी कथन है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा वर्त्तमान में EPF कटौती में मनमाना करते हुए वैसे अनुबंध कर्मियों के मानदेय से भी EPF कटौती आज तक की जा रही है जिनका मासिक मानदेय पन्द्रह हजार रुपये से अधिक है। अपने इस कथन के समर्थन में परिवादी की ओर से प्रमाण भी दिया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि EPF & MP Act, 1952 के अन्तर्गत पन्द्रह हजार रुपये तक वेतन/मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के EPF सदस्य बनना अनिवार्य है। पन्द्रह हजार रुपये से अधिक वेतन/मानदेय प्राप्त करनेवाले कर्मचारी को अनिवार्य रूप से EPF सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है, किन्तु यदि नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों सहमत हों तो ऐसी स्थिति में वैधानिक सीमा तक अंशदान जमा किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा RNTCP के अनुबंध कर्मियों को दिसम्बर, 2013 से EPF का लाभ दिया जा रहा है।** वैसे

कर्मी जिनका दिसम्बर, 2013 को मानदेय पन्द्रह हजार रुपये मासिक तक था वे तबतक EPF & MP Act, 1952 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से EPF योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे, जबतक उनका मासिक मानदेय, पन्द्रह हजार रुपये मासिक की सीमा तक रहता है।

परिवादी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि ऐसे कर्मियों को EPF योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जिनका आज की तिथि में मासिक मानदेय पन्द्रह हजार रुपये से अधिक है, जबकि दिसम्बर 2013 में उनका मासिक मानदेय पन्द्रह हजार रुपये की सीमा के अन्दर था।

आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के क्षेत्राधिकारन्तर्गत RNTCP के वैसे अनुबंध कर्मी, जिनकी नियुक्ति दिसम्बर, 2013 के पूर्व भी हुई हो, को तबतक EPF & MP Act, 1952 के तहत अनिवार्य रूप से EPF में अंशदान के अधिकारी होंगे जबतक कि उनका मानदेय पन्द्रह हजार रुपये मासिक सीमा तक रहता है। जैसे ही उन अनुबंध कर्मियों का मासिक मानदेय पन्द्रह हजार रुपये की सीमा से अधिक हो जाता है वैसी स्थिति में उनको उक्त तिथि से EPF योजना का लाभ दिया जाना नियोक्ता तथा कर्मी के सहमति या इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश से अच्छादित होगा।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर कार्यपालक निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से उपरोक्त के अनुपालन के संबंध में दिनांक–22.05.2020 के पूर्व तक प्रतिवेदन की मांग की जाय।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने हेतु नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–27.05.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>